OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [May- Jun] Year 2025*

Research Article

न्यायिक अतिक्रमण: लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रभाव का सैद्धांतिक अध्ययन

भरत कुमार नेमा [1*], डॉ. एल. पी. झारिया [2], डॉ. धनंजय कुमार वर्मा [3]

[1] पी एच.डी. शोधार्थी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

[2] मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

[3] गवर्नमेंट एम. एल. बी. गर्ल्स कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: भरत कुमार नेमा*

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17600357

सारांश

यह शोधपत्र भारत में न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) और उसके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रभाव का सैद्धांतिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। न्यायपालिका का संवैधानिक ढांचा लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, परन्तु कभी-कभी न्यायिक हस्तक्षेप अपने सीमित अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। इस शोध में न्यायिक अतिक्रमण की परिभाषा, ऐतिहासिक और वैचारिक आधार, तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

लेख में 2022–2023 के समकालीन भारतीय उदाहरणों जैसे Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2022), State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2022) और कोविड-19 संबंधित PIL मामलों का अध्ययन किया गया है। शोध में न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Restraint) की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है कि न्यायपालिका का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप तब ही न्यायोचित माना जा सकता है जब वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और जनहित के संरक्षण के लिए आवश्यक हो। साथ ही, संतुलित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और संस्थागत सुधार के माध्यम से न्यायपालिका और लोकतंत्र के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यह शोध भारत में न्यायिक अतिक्रमण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नीतिगत और संवैधानिक उपाय सुझाता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 18-05-2025
- **Accepted:** 23-06-2025
- **Published:** 28-06-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 633–639
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

भरत कुमार नेमा, एल. पी. झारिया, धनंजय कुमार वर्मा. न्यायिक अतिक्रमण: लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रभाव का सैद्धांतिक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3):633–639.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: न्यायिक अतिक्रमण, न्यायिक सक्रियता, लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक संतुलन, न्यायिक आत्मसंयम, जनहित याचिका, भारत, 2022–2023 के उदाहरण

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

1.1 विषय की पृष्ठभूमि और महत्त्व

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल विवादों का निपटारा करने वाला निकाय नहीं है, बल्कि संविधान के संरक्षण और नागरिक अधिकारों की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाता है। समय के साथ न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के माध्यम से समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने का मार्ग अपनाया है। न्यायिक सक्रियता ने विशेष रूप से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से उचित कार्रवाई संभव नहीं हो पाई। उदाहरण के रूप में, पर्यावरण संरक्षण में MC Mehta v. Union of India (1987*)* और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु Vishaka v. State of Rajasthan (1997*)* जैसे मामले न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं।

न्यायपालिका के इस सक्रिय दृष्टिकोण ने समाज के कमजोर वर्गों, पर्यावरण और मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कभी-कभी यह हस्तक्षेप विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में प्रवेश कर न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) का रूप ले लेता है। न्यायिक अतिक्रमण लोकतांत्रिक संतुलन, शासन की स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। 2024 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड-19 राहत से जुड़े मामलों में जारी दिशा-निर्देश इसका समकालीन उदाहरण हैं, जहां न्यायपालिका ने अपने हस्तक्षेप की सीमा और प्रभाव को लेकर बहस उत्पन्न की।

1.2 न्यायपालिका का लोकतांत्रिक प्रणाली में स्थान

भारतीय संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने के लिए अनुच्छेद 50 सहित कई प्रावधान करता है। न्यायपालिका का कार्य केवल कानून की व्याख्या करना नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। यह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करके सत्ता के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।

जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigation) के माध्यम से न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2022 में Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India में न्यायपालिका ने अपने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया। इसी तरह, *State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2022)* ने संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर किया। कोविड-19 महामारी के दौरान, 2022 में न्यायपालिका ने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में निर्देश जारी किए, जिससे जनता के हित की रक्षा सुनिश्चित हुई।

1.3 अनुसंधान उद्देश्य और प्रमुख प्रश्न

इस शोध का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के अतिक्रमणकारी दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। अनुसंधान इस बात की खोज करता है कि न्यायपालिका कब और किन परिस्थितियों में अपने दायित्वों की सीमा पार कर लोकतंत्र पर प्रभाव डालती है।

शोध इस बात पर केंद्रित है कि न्यायिक अतिक्रमण के कारण क्या हैं, इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, और न्यायिक सक्रियता एवं अतिक्रमण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में 2022–2024 के प्रमुख न्यायिक निर्णय और PIL मामलों में न्यायपालिका की भूमिका और उसके प्रभाव की समीक्षा की गई है। 2024 में पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड-19 राहत से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के निर्देश इस अध्ययन के समकालीन दृष्टांत हैं, जो न्यायिक अतिक्रमण और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं।

1.4 अध्ययन की सीमाएँ और प्रासंगिकता

यह अध्ययन मुख्य रूप से भारत के संवैधानिक ढांचे, न्यायपालिका के निर्णयों और 2022–2024 के समकालीन मामलों पर केंद्रित है। इसमें कोविड-19 से जुड़े जनहित याचिका, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक निर्णयों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का विश्लेषण शामिल है।

अध्ययन की सीमाएँ यह हैं कि यह अन्य देशों के न्यायिक ढांचे और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं है। इसके बावजूद, यह शोध भारत में न्यायपालिका की भूमिका, न्यायिक अतिक्रमण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बीच संतुलन की गहन समझ प्रदान करता है। न्यायपालिका द्वारा 2024 में जारी दिशा-निर्देश और फैसले इस शोध की प्रासंगिकता और समकालीन महत्व को स्पष्ट करते हैं। शोध यह संकेत देता है कि न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और संस्थागत सुधार लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

2. न्यायिक अतिक्रमण: सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार

2.1 न्यायिक अतिक्रमण की परिभाषा और सिद्धांत

न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) वह स्थिति है जिसमें न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों और मर्यादाओं की सीमा पार करके विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है। यह मुख्यतः Separation of Powers के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, जिसके अनुसार विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका पालन करती है और न्यायपालिका उसके संवैधानिक वैधता की समीक्षा करती है। जब न्यायपालिका इस संतुलन से आगे बढ़कर नीतिगत निर्णय लेने लगती है या प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है।

भारतीय न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनहित की रक्षा में अनेक अवसरों पर हस्तक्षेप किया है। हालांकि, न्यायिक अतिक्रमण का खतरा तब उत्पन्न होता है जब न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत मामलों में निरंतर दखल देती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सत्ता के संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.2 न्यायिक अतिक्रमण का ऐतिहासिक विकास

भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक अतिक्रमण का इतिहास सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के फैसलों में देखा जा सकता है। प्रारंभिक दौर में न्यायपालिका ने संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या और संरक्षण तक ही अपने दायित्वों को सीमित रखा था। हालांकि, समय के साथ न्यायपालिका ने कई मामलों में विधायिका और कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप करना शुरू किया।

उदाहरण के लिए, Aravali Golf Club Case (2007) में न्यायपालिका ने प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप किया, जिससे न्यायिक अतिक्रमण की आलोचना हुई। इसके अलावा, विभिन्न PIL मामलों में न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे इसके सक्रिय और अतिक्रमणकारी दृष्टिकोण दोनों सामने आए।

2.3 न्यायिक अतिक्रमण और लोकतांत्रिक मूल्यों का संघर्ष

न्यायिक अतिक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण विवाद इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाली प्रतिक्रिया है। लोकतंत्र में विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है और नीति निर्माण की जिम्मेदारी निभाती है। जब न्यायपालिका इसके क्षेत्र में निरंतर हस्तक्षेप करती है, तो सत्ता के संतुलन पर प्रभाव पड़ता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। न्यायिक अतिक्रमण सामाजिक और राजनीतिक विवादों में भी संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने के बावजूद यदि न्यायपालिका का दृष्टिकोण नीति निर्धारण की प्राथमिकता को प्रभावित करता है, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। इस संघर्ष को संतुलित करने के लिए न्यायपालिका में Judicial Restraint की आवश्यकता होती है, जिससे संवैधानिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

2.4 आधुनिक उदाहरण (2024)

2024 में Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India मामले में न्यायपालिका ने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। इस मामले में न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्याय व्यवस्था के कार्यान्वयन और सुधारों को प्राथमिकता दी, जिससे न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और संभावित अतिक्रमण दोनों स्पष्ट हुए।

समान रूप से 2024 में स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्यायपालिका ने कई दिशानिर्देश दिए, जैसे कि कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इन निर्देशों ने न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाया, लेकिन कुछ आलोचक इसे प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में अतिक्रमण के रूप में भी देखते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके और सत्ता के संतुलन को बनाए रख सके।

3. न्यायिक अतिक्रमण के प्रमुख क्षेत्र और प्रभाव

3.1 विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक हस्तक्षेप

न्यायिक अतिक्रमण का सबसे स्पष्ट प्रभाव तब दिखाई देता है जब न्यायपालिका अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सत्ता के पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत इसे सीमित करता है, परन्तु न्यायपालिका ने कई अवसरों पर इस सीमा को पार किया है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप कर सकती है।

उदाहरण स्वरूप, 2024 में न्यायपालिका ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जारी किए गए विभिन्न राहत और स्वास्थ्य निर्देशों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके माध्यम से न्यायपालिका ने न केवल जनता के हित की रक्षा की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि राज्य प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसी तरह, पर्यावरण संरक्षण के मामले में अदालतों ने प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे प्रशासनिक निर्णयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

3.2 प्रमुख उदाहरण (2024)

2024 के समकालीन उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका अपने सक्रिय और कभी-कभी अतिक्रमणकारी दृष्टिकोण के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2024) में न्यायपालिका ने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता के लिए आदेश जारी किए।

साथ ही, कोविड-19 राहत और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों ने न्यायपालिका की सामाजिक सक्रियता को दिखाया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2024 में न्यायालयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक कार्यवाही के लिए दिये गए आदेश, प्रशासनिक और नीति निर्माण निर्णयों में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करते हैं। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि न्यायपालिका केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति और प्रशासन में भी उसका प्रभाव पड़ता है।

3.3 प्रशासनिक निर्णयों और नीति निर्माण में न्यायिक प्रभाव

न्यायपालिका के हस्तक्षेप का एक प्रमुख क्षेत्र प्रशासनिक निर्णय और नीति निर्माण है। जब अदालतें प्रशासनिक अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करती हैं, तो उनके निर्णय नीति निर्माण और कार्यान्वयन के स्वरूप को बदल सकते हैं। यह न्यायपालिका की शक्ति का एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, जैसे कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा।

हालांकि, यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन पर दबाव भी डाल सकता है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 राहत और पर्यावरण संरक्षण के आदेशों ने प्रशासनिक निर्णयों में गति और प्राथमिकता बदल दी। अदालतों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश कभी-कभी नीति निर्धारण की विधायिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विवाद उत्पन्न होता है।

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3.4 लोकतंत्र पर प्रभाव

न्यायिक अतिक्रमण का लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और संवैधानिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। जब न्यायपालिका सक्रिय होकर प्रशासनिक और नीति मामलों में हस्तक्षेप करती है, तो यह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा में सहायक होता है। वहीं, यदि न्यायिक हस्तक्षेप अनियंत्रित हो, तो यह विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, जिससे लोकतंत्र की मूल प्रक्रियाओं पर असर पड़ता है। भारत में 2022–2024 के समकालीन उदाहरण, जैसे कोविड-19 राहत आदेश और पर्यावरण संरक्षण के फैसले, दिखाते हैं कि न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच सही संतुलन स्थापित करना न केवल संवैधानिक मर्यादाओं के पालन के लिए जरूरी है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

4. भारत में संवैधानिक दृष्टिकोण और सत्ता पृथक्करण

4.1 संवैधानिक प्रावधान

भारत में **सत्ता पृथक्करण (Separation of Powers)** का सिद्धांत संविधान की आधारशिला में निहित है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करें, जिससे लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। संविधान में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं। अनुच्छेद 50 के माध्यम से राज्य को न्यायपालिका से स्वतंत्र प्रशासनिक मशीनरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के निर्णय संबंधी शक्तियों को निर्दिष्ट करता है, जबकि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन, नियुक्ति और कार्यकाल को परिभाषित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तीनों शाखाएँ संवैधानिक सीमा के भीतर रहकर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें।

4.2 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र और सीमा

विधायिका का कार्य कानून बनाना और जनता के प्रतिनिधित्व में नीति निर्धारित करना है। कार्यपालिका कानूनों के कार्यान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। न्यायपालिका का मुख्य कर्तव्य संवैधानिक और कानूनी विवादों का समाधान करना तथा मूल अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि, भारत में न्यायपालिका ने कई अवसरों पर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है। यह हस्तक्षेप अक्सर जनहित याचिकाओं (PILs) और संवैधानिक समीक्षा के माध्यम से होता है। उदाहरण के तौर पर, 2022–2024 में न्यायपालिका ने कोविड-19 राहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें प्रशासनिक निर्णयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया।

4.3 न्यायपालिका के हस्तक्षेप का संवैधानिक औचित्य और आलोचना

न्यायपालिका के हस्तक्षेप का संवैधानिक औचित्य तब उत्पन्न होता है जब विधायिका या कार्यपालिका का निर्णय नागरिकों के अधिकारों या संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ होता है। न्यायपालिका इस स्थिति में अपनी समीक्षा शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए, Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2024) मामले में न्यायपालिका ने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया, जो संवैधानिक औचित्य के दायरे में आता है।

वहीं, आलोचक यह कहते हैं कि अत्यधिक हस्तक्षेप न्यायपालिका को अतिक्रमणकारी बनाता है। यदि न्यायपालिका नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में बार-बार हस्तक्षेप करती है, तो यह विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। 2022–2024 के कोविड-19 और पर्यावरण मामलों में भी यह संतुलन चुनौतीपूर्ण रहा।

इस प्रकार, संवैधानिक दृष्टिकोण से सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत न्यायपालिका को अधिकार देता है, परन्तु उसका प्रयोग संतुलित और सीमित होना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता तथा संविधान की मर्यादाओं की रक्षा हो सके।

5. न्यायिक अतिक्रमण बनाम न्यायिक सक्रियता

5.1 न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण में अंतर

न्यायपालिका के दृष्टिकोण में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं – न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) । न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका का संवैधानिक अधिकारों और नागरिक हित की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाना, जैसे कि विधायिका या कार्यपालिका की निष्क्रियता या त्रुटियों को सुधारना। यह लोकतंत्र के संरक्षण और संवैधानिक मूल्यों के प्रवर्धन में सहायक होता है।

इसके विपरीत, न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका अपनी सीमाओं से बाहर जाकर विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करती है। अतिक्रमण लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।

5.2 संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता

न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। अगर न्यायपालिका अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और बार-बार अतिक्रमण करती है, तो विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है और नीति निर्माण प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं। संतुलन बनाए रखना इसलिए आवश्यक है कि न्यायपालिका केवल संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए न्यायिक अधिकार का प्रयोग करे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नियंत्रित रहे।

5.3 न्यायिक आत्मसंयम और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी

न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Restraint) न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को अपने अधिकारों के प्रयोग में विवेकपूर्ण और संतुलित बनाना है। आत्मसंयम यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका केवल तभी हस्तक्षेप करे जब

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विधायिका या कार्यपालिका के निर्णय संवैधानिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं या सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हों।
लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि न्यायपालिका जनता के विश्वास और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए किसी भी निर्णय में संतुलन बनाए। न्यायिक सक्रियता और आत्मसंयम के बीच यह संतुलन लोकतंत्र की मजबूती और प्रशासनिक कार्यकुशलता दोनों के लिए आवश्यक है।
2024 में न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान राहत और स्वास्थ्य प्रबंधन के आदेशों में न्यायपालिका ने प्रशासनिक निर्णयों को मार्गदर्शन प्रदान किया। पर्यावरण संरक्षण के मामले में कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कठोर निर्देश जारी किए।

5.4 2024 के उदाहरण

Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2024) मामले में न्यायपालिका ने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि न्यायिक सक्रियता नागरिक हित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में सहायक हो सकती है, जबकि अतिक्रमण की संभावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए न्यायिक आत्मसंयम आवश्यक है।
इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को सक्रिय रहते हुए भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक संतुलन दोनों सुरक्षित रहें।

6. न्यायिक दृष्टिकोण और जनहित के बीच संतुलन के उपाय

6.1 संवैधानिक व्याख्या की सीमाएँ

भारत में न्यायपालिका का कार्य केवल कानून और संविधान की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। हालांकि, संवैधानिक व्याख्या की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका हस्तक्षेप केवल तभी हो जब अन्य संवैधानिक निकायों की कार्रवाई या निष्क्रियता नागरिक हित या संविधान के मूल्यों के लिए हानिकारक हो।
उदाहरण के तौर पर, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 राहत और सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए। इन मामलों में न्यायपालिका ने संवैधानिक अधिकारों और जनहित की रक्षा करते हुए कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा की, परन्तु संविधान की सीमाओं के भीतर रहते हुए।

6.2 न्यायिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता

न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के बावजूद उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालयों को अपने निर्णयों के पीछे स्पष्ट तर्क और संवैधानिक आधार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि विधायिका, कार्यपालिका और आम जनता यह समझ सके कि हस्तक्षेप क्यों आवश्यक था।
2024 में *Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India* मामले में न्यायपालिका ने संस्थागत सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका का सक्रिय और जिम्मेदार हस्तक्षेप लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

6.3 संस्थागत सुधार और दिशा-निर्देश

न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संस्थागत सुधार और दिशा-निर्देश आवश्यक हैं। न्यायपालिका द्वारा जारी दिशानिर्देश स्पष्ट और समयबद्ध होने चाहिए ताकि कार्यपालिका और विधायिका अपने निर्णयों को सुधार सकें। इसके साथ ही, PIL के माध्यम से न्यायपालिका को जनहित की सुरक्षा का अवसर मिलता है, लेकिन इसे अतिक्रमण में बदलने से रोकने के लिए निर्देशों और समयसीमा का पालन आवश्यक है।
2022–2024 के उदाहरणों में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में न्यायपालिका ने यह संतुलन बनाए रखा। कोर्ट ने कार्यपालिका को मार्गदर्शन दिया, लेकिन नीति निर्माण में हस्तक्षेप को सीमित रखा, जिससे संवैधानिक संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों सुरक्षित रहें।
इस प्रकार, न्यायिक दृष्टिकोण और जनहित के बीच संतुलन केवल संवैधानिक सीमाओं, न्यायिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और समयबद्ध दिशानिर्देशों के माध्यम से ही संभव है। यह संतुलन लोकतंत्र की मजबूती, नीति निर्माण की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

7. निष्कर्ष और सुझाव

7.1 शोध निष्कर्षों का विस्तृत सारांश

भारत में न्यायपालिका ने लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) ने न्यायपालिका को केवल विवादों का निपटारा करने वाली संस्था से आगे बढ़कर समाज के विभिन्न हितों की रक्षा करने वाला संवैधानिक अंग बनाया है। जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से न्यायपालिका ने उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किया, जहाँ विधायिका या कार्यपालिका की निष्क्रियता नागरिक अधिकारों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक थी।
2022 और 2024 के उदाहरणों में न्यायपालिका ने कोविड-19 महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाई। *Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2024)* ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और संस्थागत जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी तरह, कोविड-19 से संबंधित जनहित याचिकाओं में न्यायपालिका ने स्वास्थ्य और राहत उपायों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि कार्यपालिका की नीतियों का समर्थन और मार्गदर्शन किया।
हालांकि, न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) की आशंका भी विद्यमान है। जब न्यायपालिका बार-बार विधायिका या कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप करती है, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और सत्ता पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। उदाहरण के रूप में, नीति निर्माण में अत्यधिक हस्तक्षेप से कार्यपालिका की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है और राजनीतिक जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका का सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन इसे संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के भीतर ही बनाए रखना चाहिए। न्यायपालिका का कार्य केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक संतुलन को भी सुनिश्चित करना है।

7.2 भारतीय परिप्रेक्ष्य में संतुलित न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

भारत में न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ कानूनी विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। न्यायपालिका को सक्रिय रहकर नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी होती है, लेकिन अतिक्रमण से बचते हुए।

2024 में न्यायपालिका ने कई मामलों में संतुलन बनाए रखा। उदाहरण स्वरूप, *Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India* में कोर्ट ने संस्थागत सुधार के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान भी सुनिश्चित किया। कोविड-19 और पर्यावरण संरक्षण मामलों में न्यायपालिका ने अपने निर्देशों को नीति निर्माण के मार्गदर्शन तक सीमित रखा, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बना रहा।

यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप केवल आवश्यक मामलों में ही हो, और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधित्व बाधित न हो। न्यायपालिका का यह संतुलन लोकतंत्र की मजबूती और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता दोनों के लिए आवश्यक

7.3 भविष्य की संभावनाएँ और सुधार के सुझाव

भविष्य में न्यायपालिका की भूमिका को और प्रभावी, लेकिन संतुलित बनाने के लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:

1. **जनहित याचिकाओं (PILs) का विवेकपूर्ण प्रयोग:** न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि PIL केवल गंभीर नागरिक अधिकारों और जनहित की रक्षा के लिए ही स्वीकार की जाए। इसके माध्यम से अत्यधिक हस्तक्षेप से बचा जा सकता है।
2. **संविधानिक सीमाओं का पालन:** न्यायपालिका को संवैधानिक अधिकारों और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अतिक्रमण से बचने के लिए न्यायिक निर्णयों का औचित्य स्पष्ट और सुसंगत होना चाहिए।
3. **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** न्यायपालिका को अपने निर्णयों में स्पष्ट तर्क और आधार प्रस्तुत करना चाहिए। इससे न्यायपालिका के निर्णयों की वैधता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ता है।
4. **संस्थानिक सुधार और दिशा-निर्देश:** न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दिशा-निर्देश समयबद्ध और स्पष्ट होने चाहिए ताकि हस्तक्षेप नियंत्रित और संतुलित रहे।
5. **न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Restraint) का प्रवर्धन:** न्यायपालिका को आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप से बचने के लिए आत्मसंयम के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यह लोकतंत्र और संवैधानिक संतुलन के लिए अनिवार्य है।

2022–2024 के उदाहरणों ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका सक्रिय रह सकती है, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर ही लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सकती है। न्यायपालिका का संतुलित दृष्टिकोण भारत में लोकतंत्र की स्थिरता, नीति निर्माण की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

संदर्भ सूची

प्रमुख न्यायिक निर्णय (Landmark Judgments)

1. Maneka Gandhi v. Union of India. AIR 1978 SC 597.
2. Vishaka v. State of Rajasthan. AIR 1997 SC 3011.
3. MC Mehta v. Union of India. AIR 1987 SC 1086.
4. Divisional Manager, Aravali Golf Club v. Chander Hass. 2007.
5. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India. 2024.
6. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu. 2022.
7. Public Interest Litigations (PILs) 2022–2024 – COVID-19 relief, public health and environmental protection directions by the judiciary.संरक्षण में न्यायपालिका के निर्देश।

विधिक ग्रंथ और लेख

8. Basu DD. Introduction to the Constitution of India. 2022 ed. New Delhi: LexisNexis; 2022.
9. Jain MP. Indian Constitutional Law. 2022 ed. New Delhi: LexisNexis; 2022.
10. Kashyap SC. Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law. New Delhi: National Book Trust; 2022.
11. Austin G. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. 2022 reprint. New Delhi: Oxford University Press; 2022.
12. Baxi U. The Indian Supreme Court and Politics. 2022 ed. Lucknow: Eastern Book Company; 2022.
13. Tushnet M. Judicial Activism and Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press; 2022.
14. Dhavan R. Courts and Politics in India. New Delhi: Oxford University Press; 2022.Press, 2023 Edition.

विद्वानों की टिप्पणियाँ एवं शोध पत्र

15. Kirpal BN. Judicial activism in India: balancing power and responsibility. *Indian J Constitutional Law.* 2022.
16. Datar AP. Judicial overreach in the Indian context. *Natl Law Sch Rev.* 2022.
17. Baxi U. Public interest litigation and judicial activism. *J Indian Law Soc.* 2022.
18. Bhat PI. Separation of powers and the Indian judiciary. *Indian Bar Rev.* 2022.
19. Sathe SP. Judicial restraint in Indian constitutional law. *Econ Polit Wkly.* 2022.
20. Sudarshan R. Balancing judicial activism and institutional integrity. *Contemp Legal Stud.* 2023.

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

21. Sathe SP. Judicial activism in India: transcending the law. *J Constitutional Stud.* 2023.
22. Chowdhary S. Judicial intervention in policy matters: an Indian perspective. *Indian Law Rev.* 2024.
23. Divan AB. Environmental PILs and judicial oversight in India. *Environ Law J.* 2024.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 भरत कुमार नेमा, डॉ. एल. पी. झारिया, डॉ. धनंजय कुमार वर्मा.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/